विद्युत मंत्रालय

मांग संख्या 74

विद्युत मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		7341.00	-28.00	7313.00	5226.70	-163.67	5063.03	6201.16	-155.13	6046.03
पूंजी		*1889.00*	*...*	*1889.00*	*1587.30*	*...*	*1587.30*	*4428.84*	*...*	*4428.84*
जोड़		**9230.00**	**-28.00**	**9202.00**	**6814.00**	**-163.67**	**6650.33**	**10630.00**	**-155.13**	**10474.87**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	2.00	23.00	25.00	1.00	22.30	23.30	1.00	21.79	22.79
2. गारंटी शुल्क की माफी										
2.01. नेशनल हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन	2075	...	...	...	...	75.74	75.74	...	...	...
2.02.घटाइए निवल प्राप्तियां	0075	...	...	...	...	-75.74	-75.74	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
विद्युत										
सामान्य										
3. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	2801	11.00	86.14	97.14	8.07	72.80	80.87	12.16	65.64	77.80
	4801	4.00	...	4.00	3.30	...	3.30	2.84	...	2.84
	जोड़	*15.00*	*86.14*	*101.14*	*11.37*	*72.80*	*84.17*	*15.00*	*65.64*	*80.64*
4. *अनुसंधान और विकास*										
4.01 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलूरू	2801	55.00	...	55.00	41.50	...	41.50	78.18	...	78.18
5. *प्रशिक्षण*										
5.01 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एन पी टी आई)	2801	20.00	2.00	22.00	20.00	6.40	26.40	20.00	6.40	26.40
6. मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना	2801	1.25	...	1.25	0.82	...	0.82	1.25	...	1.25
7. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	2801	...	7.00	7.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
8. राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	2801	...	...	...	3158.00	...	3158.00	5052.00	...	5052.00
8.1 एनआईएफ से पूरी की गई राशि										
8.1.01 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता-आरजीजीवीवाई	2801	...	...	...	-3100.00	...	-3100.00	-5000.00	...	-5000.00
8.1.02 एपीडीआरपी	2801	...	...	...	-58.00	...	-58.00	-52.00	...	-52.00
9. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता-आरजीजीवीवाई	*निवल*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. एपीडीआरपी परियोजनाओं के लिए परामर्शी प्रभार	2801	6300.00	...	6300.00	4496.60	...	4496.60	4852.00	...	4852.00
11. मूल्यांकन अध्ययन एवं परामर्शी सेवा के लिए निधियां	2801	30.00	...	30.00	10.52	...	10.52	19.48	...	19.48
12. विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण	2801	1.00	...	1.00	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00
13. संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा हेतु संयुक्त एसईआरसी की स्थापना	2801	...	6.00	6.00	...	5.49	5.49	...	6.95	6.95
14. विद्युत क्षेत्र के लिए व्यापक पुरस्कार योजना	2801	...	3.00	3.00	...	3.50	3.50	...	4.00	4.00
15. ऊर्जा संरक्षण	2801	0.74	...	0.74	0.65	...	0.65	0.75	...	0.75
16. ऊर्जा क्षमता ब्यूरो	2801	56.00	...	56.00	18.00	...	18.00	143.94	...	143.94
17. एपीडीआरपी	2801	82.00	...	82.00	57.84	...	57.84	66.92	...	66.92
18. एफओआर को क्षमता निर्माण हेतु सहायता	2801	80.00	...	80.00	66.00	...	66.00	100.00	...	100.00
19. पीएचआरडी के तहत टीएचडीसी को विश्व बैंक अनुदान	2801	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
20. एपीडीआरपी के लिए पीएफसी को ऋण	2801	0.01	...	0.01	0.20	...	0.20	...	...	...
	6801	1477.00	...	1477.00	1221.00	...	1221.00	3230.00	...	3230.00
21. ब्याज सब्सिडी राष्ट्रीय बिजली निधि	2801	...	...	...	...	...	...	227.64	...	227.64
22. एनटीपीसी (एजीएनएसपी) को ब्याज सब्सिडी	2801	...	...	...	...	...	...	26.84	...	26.84
जोड़-सामान्य		**8120.00**	**104.14**	**8224.14**	**5946.60**	**92.19**	**6038.79**	**8785.00**	**86.99**	**8871.99**

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
ताप विद्युत उत्पादन										
23. *बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र*										
23.01 राजस्व व्यय	2801	...	149.59	149.59	...	26.57	26.57	...	24.80	24.80
23.02 घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	0801	...	-304.73	-304.73	...	-304.73	-304.73	...	-288.71	-288.71
निवल व्यय		...	-155.14	-155.14	...	-278.16	-278.16	...	-263.91	-263.91
पारेषण और वितरण										
24. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/ योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान										
24.1 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता-आरजीजीवीवाई	2552	700.00	...	700.00	503.40	...	503.40	648.00	...	648.00
24.2 एपीडीआरपी के तहत पीएफसी को ऋण	6552	173.00	...	173.00	143.00	...	143.00	370.00	...	370.00
24.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	4552	50.00	...	50.00	35.00	...	35.00	45.00	...	45.00
	जोड़	923.00	...	923.00	681.40	...	681.40	1063.00	...	1063.00
जोड़ - विद्युत		**9043.00**	**-51.00**	**8992.00**	**6628.00**	**-185.97**	**6442.03**	**9848.00**	**-176.92**	**9671.08**
25. *पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा सरकारी उद्यमों में निवेश*										
25.01 विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	6801	185.00	...	185.00	185.00	...	185.00	781.00	...	781.00
कुल जोड़		***9230.00***	***-28.00***	***9202.00***	***6814.00***	***-163.67***	***6650.33***	***10630.00***	***-155.13***	***10474.87***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
25.01 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि.	12801	...	17700.00	17700.00	...	14760.00	14760.00	...	22350.00	22350.00
25.02 राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम लि.	12801	185.00	4482.99	4667.99	185.00	3577.74	3762.74	781.00	4108.34	4889.34
25.03 दामोदर घाटी निगम	12801	...	8313.34	8313.34	...	8109.45	8109.45	...	8539.78	8539.78
25.04 पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लि. (पूर्वोत्तर क्षेत्र संघटक)	12801	50.00	774.70	824.70	35.00	411.67	446.67	45.00	841.30	886.30
25.05 सतलुज जल विद्युत निगम लि.	12801	...	580.06	580.06	...	466.85	466.85	...	525.17	525.17
25.06 टिहरी जल विकास निगम लि.	12801	...	535.18	535.18	...	629.89	629.89	...	856.83	856.83
25.07 पावर ग्रिड निगम लि.	12801	...	11510.00	11510.00	...	10500.00	10500.00	...	12900.00	12900.00
जोड़		**235.00**	**43896.27**	**44131.27**	**220.00**	**38455.60**	**38675.60**	**826.00**	**50121.42**	**50947.42**
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय क्षेत्र की आयोजना										
1. विद्युत	12801	8307.00	43896.27	52203.27	6132.60	38455.60	44588.20	9567.00	50121.42	59688.42
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	923.00	...	923.00	681.40	...	681.40	1063.00	...	1063.00
जोड़		**9230.00**	**43896.27**	**53126.27**	**6814.00**	**38455.60**	**45269.60**	**10630.00**	**50121.42**	**60751.42**

1. **सचिवालयः** इसमें विद्युत मंत्रालय के लिए स्थापना मामलों सबंधी सचिवालय व्यय का प्रावधान है।

3. **केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणः** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत संसाधनों के नियंत्रण एवं उपयोग के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के कार्यकलापों का समन्वयन करता है। यह सर्वेक्षण और अध्ययन करने तथा विद्युत संसाधनों के उत्पादन, वितरण, उपयोग और विकास से संबंधित आंकड़ों को संग्रहीत करने और उनका रिकार्ड रखने के लिए भी जिम्मेदार है।

4. **अनुसंधान एवं विकासः** केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलूरु विद्युत के क्षेत्र में अनुयोग अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला की तरह कार्य करता है और वैद्युत उपस्करों और संघटकों की जांच, मूल्यांकन तथा प्रमाणन के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण की तरह भी कार्य करता है।

5. **प्रशिक्षणः** इसमें राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, जो विद्युत केन्द्रों के प्रचालन व अनुरक्षण सहित विद्युत क्षेत्रक के विंभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देता है, पर व्यय के लिए प्रावधान है।

6. **मणिपुर तथा मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगः** मणिपुर तथा मिजोरम के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग स्थापित किया गया है। आयोग की स्थापना तथा अन्य कार्यकलापों पर व्यय करने के लिए प्रावधान किया गया है।

7. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगः** ईआरसी अधिनियम, 1998 के उपबंध के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की है। विद्युत अधिनियम 2003, के तहत केन्द्रीय आयोग अर्द्ध-न्यायिक दर्जे वाली एक सांविधिक निकाय है। इसमें सीईआरसी की स्थापना एवं अन्य क्रियाकलापों पर व्यय हेतु प्रावधान किया गया है।

8. राष्ट्रीय निवेश निधि का संबंध राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के आंशिक निधियन के लिए और पूंजी परिसम्पति के सृजन हेतु सहायता अनुदान के रूप में उपयोग की जा रही विनिवेश आय से है।

9. **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाः** आरजीजीवीवाई, जो एक फ्लैगशिप योजना है तथा भारत निर्माण का भी संघटक है, अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी जो पांच वर्षों में एक लाख से अधिक ग्रामों को विधुतीकृत करने तथा 2.3 करोड़ ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को बिजली के कनेकशन जारी करने के लिए अधिदेशित है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, 44% ग्रामीण परिवारों को बिजली मिल रही है। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और इसकी पूर्ण विकास संबंधी संभावनाओं का दोहन करने की दृष्टि से ग्रामीण विद्युत अवसंरचना में सुधार आवश्यक है। रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) इस कार्यक्रम हेतु नोडल एजेंसी है। योजना के अंतर्गत, परियोजनाओं के लिए ग्रामीण विद्युत वितरण आधार (आरईडीबी), ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना (वीईआई) का सृजन और विकेन्द्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी) एवं आपूर्ति के प्रावधान के लिए 90% पूंजी सब्सिडी की व्यवस्था की जा सकती है। आरईडीबी, वीईआई और डीडीजी कृषि एवं अन्य कार्यों की आवश्यकता को भी पूरा करेंगे। इस योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे के गैर-विद्युतीकृत घरों को सभी ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिलेगें। स्कीम को 11वीं योजना में जारी रखने के लिए दिनांक 03 जनवरी, 2008 को पहले चरण के अंतर्गत 28,000 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी मंजूर की गई है। छोटे वास स्थानों को कवर करने के लिए सरकार ने 300 के बजाय 100 तक की जनसंख्या वाले वास स्थानों के विद्युतीकरण को मंजूरी प्रदान की है।

11. **मूल्यांकन अध्ययन और परामर्श हेतु निधियां**-यह प्रावधान विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों का मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए किया गया है।

12. **विद्युत के लिए अपीलीय प्राधिकरणः** विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने विद्युत के लिए अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की है। यह प्राधिकरण विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अधिनिर्णयन अधिकारी अथवा उपयुक्त आयोगों के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करता है।

13. **संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी)** दिल्ली को छोड़कर संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी)की स्थापना की गई है। आयोग की स्थापना तथा अन्य कार्यकलापों पर व्यय करने के लिए प्रावधान किया गया है।

14. **व्यापक पुरस्कार योजनाः** शील्ड/प्रमाणपत्र प्रदान करने की योजना ताप विद्युत केन्द्रों और उपयोगिताओं के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरु की गई है।

15. **ऊर्जा संरक्षण** - निधियों का उपयोग ऊर्जा संरक्षण संबंधी कार्यों, अर्थात् राष्ट्र-स्तरीय जागरूकता अभियान, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार तथा राष्ट्र-स्तरीय बाल पेंटिग प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन हैं जो मुख्य लक्ष्य हासिल करने के लिए दीर्घावधिक और एकीकृत कार्यनीतियां निर्धारित करते हैं। इनमें से एक मिशन राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा मिशन है। इसका परिशीलन विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा क्षमता ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है।

16. **ऊर्जा क्षमता ब्यूरो** - बीईई को इसकी विभिन्न योजनागत स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए निधियां प्रदान की जाएगी क्योंकि सरकार ने ऊर्जा संरक्षण एवं क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक मांग पक्ष उपाय शुरू किए हैं । सरकार ने बचत लैम्प योजना नामक एक स्वैच्छिक योजना का अनुमोदन किया है जो प्रमाणित निस्सरण अधिकारों की बिक्री के द्वारा अक्षम बल्बों की जगह सीएफएल लगाने पर बल देता है। उपभोक्ता मार्गदर्शन के द्वारा देश में ऊर्जा सक्षम उपस्करों एवं उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। साथ ही, वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा खपत कम करने के लिए ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड शुरू किया गया है। सरकार ने राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए राज्य नामोदिष्ट एजेंसियों के सुदृढ़ीकरण हेतु एक स्कीम भी अनुमोदित की है। कृषि तथा म्युनिसीपल क्षेत्रों में विद्युत खपत को कम करने के लिए कृषि और म्युनिसीपल मांग पक्ष प्रबंधन के लिए एक योजना बनाई गई है। लघु तथा मध्यम उद्यमों में ऊर्जा किफायत के लिए एक अन्य योजना का प्रस्ताव भी लघु तथा मध्यम उद्यमों में ऊर्जा बचत हेतु भारी संभाव्यता के अधिग्रहण हेतु किया गया है।

17. **पुनर्संरचित एपीडीआरपीः** 11वीं योजना के लिए जुलाई 2008 में अनुमोदित पुनः संरचित एपीडीआरपी का संकेन्द्रण हानि अपचयन के अर्थ में वास्तविक प्रदर्शनयोग्य निष्पादन पर है। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य विद्युत उपयोगिताओं के लिए एटीएंडसी की हानियों के स्तर को घटाकर 15% तक करना सुकर बनाना है। इस कार्यक्रम के दो मुख्य संघटक हैं। भाग क में ऊर्जा लेखाकरण तथा लेखा-परीक्षा प्रणाली आधारित सूचना प्रोद्योगिकी की स्थापना के लिए परियोजनाएं शामिल हैं जो परियोजना क्षेत्रों में सत्यापन योग्य आधारिक एटीएवंसी हानि स्तरों को अंतिम रूप देने के परिणामी होंगी। भाग ख में वितरण नेटवर्क सुदृढ़ीकरण निवेशों की परिकल्पना की गई है जो हानि स्तरों के अपचयन में परिणामी होंगे। आरम्भ में, दोनों भागों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए निधियां ऋण के जरिए उपलब्ध कराई जानी है। (भाग क के लिए 100% तथा भाग ख के लिए 25% सिवाए विशेष श्रेणी और पूर्वोत्तर राज्यों के जिनके लिए भाग ख के अंतर्गत 90% ऋण उपलब्ध कराया जाएगा) जिसे रुपांतरण सोपाधिकताएं पूरी करने पर अनुदान में रूपांतरित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक समर्थकारी संघटक हैं नामतः भाग ग जिसके तहत कार्यक्रम की गतिविधियों को सुकर बनाने के लिए व्यय की पूर्ति हेतु अनुदान दिया जाएगा।

18. **क्षमता निर्माण हेतु विनियामक मंच को सहायता**-यह प्रावधान केन्द्रीय/राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिवर्ष पूर्णकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु है। विनियामक मंच केन्द्रीय/राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा ।

21. **राष्ट्रीय बिजली निधि (ब्याज सब्सिडी योजना):** बजट (2008-09) में की गई घोषणा के अनुसरण में राज्यों को अपनी वितरण/पारेषण अवसंरचना सुधारने के लिए ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय बिजली निधि का सृजन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति की सिफारिशों के आधार पर 15 वर्ष की अवधि में ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए पीएफसी ब्याज सब्सिडी की राशि जारी करने के लिए निबंधन और शर्तें तैयार करेगी और सब्सिडी के दावों को प्रक्रियान्वित करने हेतु नोडल एजेंसी होगी।

25 **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश**

25.01 **नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी):** एनटीपीसी, कोलपिट हेडों में ताप विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के मुख्य लक्ष्य के साथ ताप विद्युत उत्पादन कंपनी के रूप में नवम्बर, 1975 में स्थापित की गई थी । दिनांक 31.01.2010 की स्थिति के अनुसार एनटीपीसी की कुल अधिष्ठापित क्षमता (इसकी संयुक्त उद्यम कम्पनियों सहित) 31,134 मे.वा. (सिंगरौली, कोरबा, रामागुंडम-I, II और III, फरक्का, विंध्याचल-I,II और III, रिहंद-I और II, अंता, औरैय्या, कवास, कहलगांव-I और II, सिपत-II एनसीटीपीपी, दादरी I और II,दादरी गैस, ऊँचाहार-I,II और III, गंधार जीपीपी, तालचेर-I और II, टीटीपीएस, कायमकुलम, फरीदाबाद जीबीपीपी टांडा टीपीएस, सिम्हाद्री, बदरपुर, एनटीपीसी, सेल पावर कं. प्रा.लि., रत्नागिरी पीपी लि.) है।

25.02 **नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी)**- एनएचपीसी की स्थापना केन्द्रीय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र, दक्ष एवं मितव्ययी तरीके से निष्पादन एवं प्रचालन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1975 में की गयी थी। निगम ने अब तक केंद्रीय क्षेत्र में 11 परियोजनाएं (बैरासुल, लोकतक, सलाल-I और II, टनकपुर, चमेरा-II, उड़ी, रंगित, धौलीगंगा, चमेरा I, टीस्टा V और दुलहस्ती) और 2 परियोजनाएं संयुक्त उद्यम में अर्थात इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर पूरी की हैं।

सं.74/ विद्युत मंत्रालय

इसने डिपोजिट वर्क/टर्नकी आधार पर 3 परियोजनाएं भी पूरी की है। एनएचडीसी सहित एन एच पी सी की कुल अधिष्ठापित क्षमता 5175 मे.वा. है।

25.03 **दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी)**: डीवीसी की स्थापना दामोदर घाटी में सिंचाई के संवर्धन एवं प्रचालन, जल आपूर्ति, जल निकासी हाइड्रो इलैक्ट्रिक विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए जुलाई, 1948 में की गई थी । डीवीसी की कुल संस्थापित क्षमता 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार 3299.7 मे. वा. है।

25.04 **नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको)**: नीपको पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत स्टेशनों की योजना, सर्वेक्षण, प्रारूप, निर्माण, प्रचालन एवं देखरेख के लक्ष्य से 2 अप्रैल, 1976 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी के रूप में पंजीकृत की गई थी । 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार नीपको की कुल संस्थापित क्षमता 1130 मे. वा. है।

25.05 **सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड** एसजीवीएनएल (पहले नाफ्था झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड-एनजेपीसी) हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलुज नदी बेसिन में हाइड्रो-इलैक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं की योजना बनाने, जांच करने, निष्पादन करने, प्रचालन करने तथा देखरेख करने के लिए भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप मे 24 मई, 1988 को निगमित की गई थी । नाफ्था-झाकरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजना (1500 मे. वा.) जो सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना है शुरू कर दी गई है। एसजेवीएनजे को हिमाचल प्रदेश में रामपुर जल विद्युत परियोजना (412 मे. वा.), लुहरी जल विद्युत परियोजना (775 मे.वा.), धौलसिद्ध 40 मेगावाट और उत्तराखंड में नटवर-मोरी (59 मे. वा.) जल विद्युत परियोजना जाखल सांकरी (45 मेगावाट), देवसरी (252 मेगावट) आवंटित की गई हैं। बीओओटी आधार पर नेपाल में 402 मे.वा अरूण-III एचईपीके निर्माण के लिए आईसीबी द्वारा भी उनकी सहायता की जाती है।

25.06 **टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (टीएचडीसी)**: टीएचडीसी टिहरी और डाऊनस्ट्रीम में भागीरथी नदी और उसकी सहायक नदियों के जल संसाधनों के संगठित एवं दक्ष उपयोग हेतु जुलाई 1988 में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित की गई थी । टीएचडीसी को टिहरी हाइड्रो कॉम्पलेक्स (2400 मे.वा.) के निष्पादन का कार्य सौंपा गया है, जिसमें (क) टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना चरण-I (1000 मे.वा.) (ख) कोटेश्वर बांध और जल विद्युत परियोजना (400 मे.वा.) और (ग) टिहरी पम्प स्टोरेज संयंत्र (1000 मे.वा.) शामिल है। टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना चरण-। पूरी हो चुकी है, जबकि कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना, टिहरी पीएसपी और विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (444 मे. वा.) निर्माणाधीन है। टीएचडीसी की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 31.12.2009 को 1000 मे. वा. है।

25.07 **पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया**: पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. का निगमीकरण वर्ष 1989 में क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना और प्रचालन करने के लिए किया गया था ताकि ठोस वाणिज्यिक सिद्धांतों पर विश्वसनीयता, सुरक्षा और मितव्ययिता के साथ क्षेत्रों के भीतर और बाहर विद्युत के अंतरण को सुविधाजनक बनाया जा सके । एनटीपीसी, एनएचपीसी, नीपको और एनएलसी की पारेषण प्रणालियां अप्रैल, 1992 से पीजीसीआईएल को अंतरित की गई थी । पीजीसीआईएल पारेषण नेटवर्क देश में उत्पादित कुल विद्युत का लगभग 43% है। पीजीसीआईएल की वर्तमान अंतःक्षेत्रीय पारेषण क्षमता 31.12.2009 को 20,800 मे. वा. है।